

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड
अधिसूचना संख्या 33/2018- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित व्यापारावर्त 1.5 करोड़ रुपये तक है को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उक्त व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समय अवधि तक, नीचे दी गई सारणी के स्तभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी त्रैमास के दौरान, माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-सितम्बर, 2018	31 अक्तूबर, 2018
2	अक्तूबर-दिसम्बर, 2018	31 जनवरी, 2019
3	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उप धारा(1) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 के लिए तत्पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

(फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)

(डा.श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव भारत सरकार